संविदा के सामान्य सिद्धांत

प्रश्न 1 वे कौन सी संविदाएं है जिनका विनिर्दिष्ट अनुपालन नही कराया जा सकता है विवेचना कीजिये

Ans इस प्रकार धारा 14 उन संविदाओं को इंगित करती है जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं । कराया जा सकता है। ऐसी संविदाएं निम्नवत् हैं

(क) यदि संविदा ऐसी है जिसके अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त प्रतिफलहै तो ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। यदि ऐसे अंश(share) के लिए संविदा की गई है जो बाजार में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता तो इसका विनिर्दिष्ट पालन तो कराया जाता है। परन्तु यदि अंश ऐसा है जो बाजार में उपलब्ध है और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो इसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाता है क्योंकि ऐसी दशा में धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष होगा। इसी प्रकार धन उधार होने की संविदा का भी विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता क्योंकि धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष होगा।

(ख) यदि संविदा में सूक्ष्म या बहुत से व्यौरे हैं या जो पक्षकारों की वैयक्तिक अर्हताओं पर या स्वेच्छा पर आश्रित है अथवा अन्यथा अपनी प्रकृति के कारण ऐसी है कि न्यायालय उसके तात्विक निबन्धनों के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन नहीं करा सकता, तो ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। उदाहरण के लिए विवाह का करार पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है और न्यायालय के लिए सम्भव नहीं है कि वह उनके इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए बाध्य कर

सके।

(ग) यदि संविदा ऐसी है जो अपनी प्रकृति से ही पर्यवसेय (determinable) है तो इसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

(घ) यदि संविदा ऐसी है जिसके पालन में ऐसा सतत् कर्त्तव्य का पालन अन्तर्ग्रस्त है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण न कर सके, तो इसका विनिर्दिष्टतः पालन नहीं कराया जा सकता।

साधारणतः व्यक्तिगत प्रकृति की संविदा का विनिर्दिष्टतः पालन नहीं कराया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सेवा-संविदा का साधारणतः विनिर्दिष्टतः पालन नहीं कराया जा सकता। इसके लिए प्रतिकर का उपचार ही उपलब्ध है। अतः सेवा - संविदा के भंग की दशा में प्रतिक के लिए वाद लाना चाहिए, इसके विनिर्दिष्ट पालन के लिए नहीं।

किसी प्रोफेसर द्वारा लेक्चर देने की संविदा का भी विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता क्योंकि यह उसकी व्यक्तिगत दक्षता अर्हता और स्वेच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार रेलवे की लाइन बिछाने की संविदा का भी विनिर्दिष्टतः पालन नहीं कराया जा सकता क्योंकि इसमें न्यायालय द्वारा दीर्घकालीन पर्यवेक्षण अन्तर्गस्त है और न्यायालय ऐसा पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। ऐसी संविदाओं के भंग के लिए प्रतिकर दिलवाया जाता है।

इस प्रकार उच्चतम न्यायालय 5 ने स्पष्ट कर दिया है कि कतिपय अपवादजनक परिस्थितियों को छोडकर व्यक्तिगत सेवा की संविदा का विनिर्दिष्टतः पालन नहीं कराया जा सकता। ऐसी अपवादजनक परिस्थितियाँ निम्नवत् हैं

(क) संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन।

(ख) औद्योगिक विधि के उल्लंघन में मुक्त किए गए कर्मकार की बहाली (reinstatement)|

(ग) संविधि के आज्ञापक उपबन्धों का सांविधिक निकाय द्वारा उल्लंघन।
अनुच्छेद 311

(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को जो कि संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति सचिव द्वारा हुई है, वह उप सचिव द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता।। अनुच्छेद 311

'(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसे ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दे दी गई है और इन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्तियों (rank) में अवनत किया जाएगा। अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 311 (2) का द्वितीय परन्तुक अनुच्छेद 311 (2) जो कि सिविल सेवक के पदच्युत किए जाने या पद से हटाने या पद अवनति किए जाने के आदेश के जारी करने के पूर्व जांच करने और सम्बन्धित सिविल सेवक को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने का उपबन्ध करता है निम्नलिखत दशाओं में लागू नहीं होता है--

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

प्रश्न 2 वे कौन सी संविदाएं है जिनका विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है

Ans **संविदाएं जिनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है (धारा 10)**: धारा 10 के उपबन्ध इस प्रकार हैं-"इस अध्याय में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय के विवेकानुसार प्रवर्तित कराया जा सकेगा

(क) जबकि उस कार्य का, जिसको कराने का करार हुआ है, अपालन द्वारा कारितवास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो,अथवा

(ख) जबकि वह कार्य जिसके कराने का करार हुआ है, ऐसा हो कि उसके अपालन केलिए धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष न पहुँचाता हो। स्पष्टीकरण- जब तक और जहाँ तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, न्यायालय उपधारित करेगा कि

(i) स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा के भंग का धन के रूप में प्रतिकर द्वारायथायोग्य अनुतोष नहीं दिया जा सकता; तथा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

संविदा के सामान्य सिद्धांत

(ii) जंगम सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा-भंग का इस प्रकार अनुतोष दिया जा सकताहै, सिवाय निम्नलिखित दशाओं में

(क) जहाँ कि सम्पत्ति मामूली वाणिज्य-वस्तु न हो अथवा वादी के लिए विशेष मूल्यया हित की हो अथवा ऐसा माल हो जो बाजार में सुगमता से अभिप्राप्य नहींहो;

(ख) जहाँ कि सम्पत्ति प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारितहो।"

इस प्रकार निम्नलिखित दशाओं में संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है

(1) धारा 10 से स्पष्ट हो जाता है कि जबकि उस कार्य का, जिसके करने का करारहुआ है अपालन द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करने के लिएकोई मानक विद्यमान न हो।

(2) जबकि वह कार्य, जिसको करने का करार हुआ है ऐसा हो कि उसके अपालन केलिए धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष न पहुँचाता हो। इस प्रकार असाधारण प्रकार की वस्तु के विक्रय की संविदा में संविदा का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है। इस प्रकार जब संविदा-भंग करने वाले पक्षकार को आदेश दिया जाता है कि वह अपने वचन या आभार का ठीक-ठीक पालन करे तो इसे संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कहते हैं। वास्तव में कभी-कभी संविदा-भंग की दशा में मुद्रा के रूप में प्रतिकर देना पर्यास नहीं मानाजाता है तो न्यायालय पक्षकार को आदेश देता है कि वह ग्रहण किए गए आभार का ठीकठीक पालन करे। इसे संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कहा जाता है। __संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का सिद्धान्त का आधार यह है कि साम्या के अन्तर्गत वादी को वही चीज़ प्राप्त करने का हकदार है जिसके लिए संविदा की गई है। साम्या का सिद्धान्त वहाँ लागू किया जाता है जहाँ विधि द्वारा प्रदत्त उपचार अपर्याप्त होता है अथवा विधि द्वारा उपचार प्रदान ही नहीं किया जाता है। इस प्रकार संविदा के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

विनिर्दिष्ट पालन का आदेश सामान्यतः उस स्थिति में दिया जाता है जबकि संविदा-भंग के लिए विधि द्वारा संविदा का पालन न होने से उसे हानि नहीं हुई हो तो वह इस धारा के अन्तर्गत प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 9 से 25 संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है। कतिपय दशाओं में न्यायालय आदेश दे सकता है कि पक्षकार की गई प्रतिज्ञा या वचन का वास्तव में पालन करे और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करे। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, यद्यपि कि न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि युक्तियुक्त रूप से न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार करेगा।

संविदा का विनिर्दिष्टतः पालन (specific performance) एक साम्यिक उपचार है। इसमें न्यायालय प्रतिवादी को आदेश देता है कि वह संविदा का पालन वास्तव में संविदा की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार करे। संविदा का विनिर्दिष्टतः पालन पक्षकारों द्वारा ग्रहण किए गए आभार का पूर्ण रूपेण पालन है। _ पोमेराय के अनुसार, पक्षकार ने जो आभार ग्रहण किया है उसका ठीक-ठीक पालन संविदा का विशिष्ट पालन है।3 ___ हाल्सबरी4 के अनुसार एक साम्यिक उपचार है जो संविदा-भंग की दशा में न्यायालय एक निर्णय के रूप में देती है कि प्रतिवादी संविदा का पालन उसकी शर्तों और अनुबन्धों के अनुसार वास्तव में करे।

फ्राई5 ने मत व्यक्त किया है

"The specific performance of a contract is its actual execution according to its stipulations and terms and is contrasted with damages or compensation for the non-execution of the contract."

इस प्रकार यदि क, ख से एक दुष्प्राप्य चित्र लेने की संविदा करता है। वह इसका विनिर्दिष्ट पालन करा सकता है क्योंकि संविदा-भंग से उत्पन्न हानि को मुद्रा के रूप में आंकने के मापदण्ड का अभाव है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

धारा 10 का स्पष्टीकरण स्पष्ट कर देता है कि जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न किया जाय न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि

(i) स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा के भंग का धन के रूप में प्रतिकर द्वारायथायोग्य अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता तथा;

(ii) जंगम (चल) सम्पत्ति के अन्तरण की दशा में संविदा-भंग के लिए इस प्रकार

। अनुतोष दिया जा सकता है, सिवाय निम्नलिखित दशाओं के-(क) जहाँ कि

369 सम्पत्ति मामूली वाणिज्य-वस्तु न हो अथवा वादी के लिए विशेष मूल्य या हित की हो अथवा ऐसा माल हो जो बाजार में सुगमता से अभिप्राप्य नहीं हो; (ख) जहाँ कि

सम्पत्ति प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो। इस प्रकार यदि चल सम्पत्ति वाणिज्य-वस्तु नहीं है या वादी के लिए विशेष महत्व की है या ऐसी है जिसे बाजार में सुगमता से अभिप्राप्य नहीं है तो इससे संविदा का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कम्पनी का अंश ऐसा है जिसे बाजार में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है क्योंकि वह सदैव बाजार में उपलब्ध नहीं होता है और जिसको प्राप्त न करने के कारण अंशधारी को वह हैसियत प्राप्त नहीं होती है जो कि उस दशा में प्राप्त होती जबकि वह अंश उसे प्राप्त हो जाता।

संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन (धारा 12) : धारा 12 संविदा के भाग के विनिर्दिष्ट पालन के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है। इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार हैं

(1) इस धारा में एतस्मिन् पश्चात् अन्यथा उपबन्धित के सिवाय न्यायालय किसी संविदाके किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निदेश नहीं देगा।

(2) जहाँ कि किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें के अपने पूरे भाग का पालन करनेमें असमर्थ हो किन्तु वह भाग जिसे अपालित रह जाना ही है। पूरे भाग के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

मूल्य के का अनुपात में बहुत कम हो और उसके लिए धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, वहाँ - दोनों में किसी भी पक्षकार के वाद लाने पर न्यायालय संविदा में से उतने भर के विनिर्दिष्ट पालन का निदेश दे सकेगा। जितने का पालन किया जा सकता हो और रहगई कमी के लिए धन के रूप में प्रतिकर दिलवा सकेगा।

(3) जहाँ कि संविदा का कोई पक्षकार उसमें के अपने के पूरे भाग का पालन करने मेंअसमर्थ हो और वह भाग जिसे अपालित रह जाना ही है या तो(क) सम्पूर्ण का प्रचुर भाग हो यद्यपि उसका धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो;या

(ख) उसका धन के रूप में प्रतिकर न हो सकता हो;

प्रश्न 3 व्यादेश क्या है अस्थायी शाश्वत एवं आज्ञापक व्यादेश के बारे में आप क्या जानते है संक्षेप में समझाइये

Ans **निवारक अनुतोष**

(Preventive Relief)

(धारा 36-43)धारा 36 से 43 निवारक अनुतोष के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है। निवारक अनुतोष उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब कि कोई पक्षकार वह कार्य करता है जिसे न करने के आभार के अधीन वह है। ऐसे कार्य को करने

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

से रोकने के लिए अथवा यदि ऐसे कार्य का किया जाना प्रारम्भ हो चुका है तो उसे आगे किए जाने से रोकने के लिए निवारक अनुतोष प्रदान किया जाता है।

धारा 36 स्पष्ट कर देती है कि निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी या शाश्वत ब्यादेश (injunction) द्वारा अनुदत्त किया जाता है। धारा 36 स्पष्ट कर देती है कि निवारक अनुतोष प्रदान करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। परन्तु न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग न्यायिक सिद्धान्तों के आधार पर करना होता है। इसका मनमाना प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय के सम्बन्ध में जब विवेक का प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ होता है कि विवेक का प्रयोग विधि द्वारा मार्गदर्शित होगा और यह मनमाना न होकर विधिक और नियमित होगा।2 निवारक (preventive) अतोष संविदा के विनिर्दिष्टतः पालन के अनुतोष से भिन्न है। निवारक अनुतोष के अन्तर्गत किसी कार्य को न करने का आदेश दिया जाता है जबकि विनिर्दिष्टतः पालन की डिक्री की दशा में वही कार्य करने का आदेश दिया जाता है जिसे करने के प्रतिज्ञा की गई है। इसी प्रकार निवारक अनुतोष दोषयुक्त कृत्यों से सम्बन्धित है चाहे वे संविदा से सम्बन्धित हो अथवा अन्य से परन्तु संविदा के विनिर्दिष्टतः पालन की डिक्री केवल संविदा से सम्बन्धित होती है। इन भिन्नताओं के उपरांत भी इन दोनों में समानता है। दोनों को अनुदत्त करने का आधार एक ही है और वह है, विधिक उपाय की अपर्याप्तता।

रिसीवर की नियुक्ति और व्यादेश के रूप में निवारक अनुतोष में भी समानता यह है कि दोनों ही भविष्यकालीन क्षति को रोकने के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं। दोनों में ही उद्देश्य यह होता है कि विवाद्य सम्पत्ति की सुरक्षा की जाय और पक्षकारों के अधिकारों को निश्चित किए जाने के बाद तद्नुसार कार्य किया जाय। दोनों ही अनुतोष में न्यायालय को विवेक प्रदान किया गया है। अनुतोष प्रदान करना अथवा प्रदान न करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। परन्तु यह अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग मामले की परिस्थितियों और न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर किया जाएगा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

और इसका मनमाना प्रयोग नहीं किया जाएगा। परन्तु इसके उपरांत भी दोनों अनुतोष में कुछ महत्वपूर्ण भेद है।

व्यादेश (injunction)की दशा में कब्जे में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि रिसीवर नियुक्ति की दशा में तुरन्त परिवर्तन हो जाता है। रिसीवर सम्पत्ति या फंड को सभी पक्षकारों के फायदे के लिए अपने कब्जे में रखता है। । व्यादेश (Injunction) : व्यादेश न्यायालय के ऐसे आदेश या डिक्री के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा वाद के किसी पक्षकार को कोई कार्य करने या न करने का आदेश दिया जाता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य न करने या किसी दोषपूर्ण चूक को जारी रखने से वर्जित किया जाता है। इसका आधार विधिक उपाय की अपर्याप्तता है।

व्यादेश अस्थायी अथवा शाश्वत अथवा बाध्यकर या निषेधात्मक हो सकता है।

अस्थायी (Temporary) और शाश्वत (Perpetual) व्यादेश : कालावधि के आधार पर व्यादेश अस्थायी अथवा शाश्वत हो सकते हैं। धारा 37 (1) के अनसार अस्थायी व्यादेश ऐसे होते हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के आगामी आदेश तक बने रहते हैं। धारा 37 के उपबन्ध इस प्रकार हैं" (1) अस्थायी व्यादेश ऐसे होते हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अतिरिक्त

आदेश तक बने रहना है तथा वे वाद के किसी भी प्रक्रम में अनुदत्त किए जा सकेंगे

और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विनियमित होते हैं। (2) शाश्वत व्यादेश वाद की सुनवाई पर और उसके गुणागुण के आधार पर की गई

डिक्री द्वारा ही अनुदत्त किया जा सकता है, तद्द्वारा प्रतिवादी किसी अधिकार का ऐसा प्राख्यान या कोई ऐसा कार्य जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो, न करने के लिए शाश्वत काल के लिए व्यादिष्ट कर दिया जाता है।"

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

चाहिए कि वादी ने अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया वाद स्थापित कर लिया है और यदि व्यादेश जारी नहीं किया गया तो इस बात की सम्भावना है कि वादी को ऐसी हानि या क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही वादी को यह भी सिद्ध करना होगा कि व्यादेश जारी न करने पर जो असुविधा उसे होगी वह व्यादेश जारी करने से प्रतिवादी को होने वाली असुविधा से अधिक होगी।

शाश्वत व्यादेश

(Perpetual Injunction)धारा 37 (2) स्पष्ट कर देती है कि शाश्वत व्यादेश वाद की सुनवाई पर और उसके गुणागुण के आधार पर की गई डिक्री द्वारा ही अनुदत्त किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रतिवादी किसी अधिकार का ऐसा प्राख्यान या कोई ऐसा कार्य जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो, न करने के लिए शाश्वत काल के लिए व्यादिष्ट कर दिया जाता है। अस्थायी व्यादेश अन्त-कालीन (provisional) होता है और यह पक्षकारों के हक को निश्चित नहीं करता है परन्तु शाश्वत व्यादेश पक्षकारों के हक को अन्ततः निश्चित करता है और सुनवाई के समय अनुदत्त डिक्री का भाग होता है। शाश्वत व्यादेश प्रतिवादी को अधिकार का प्रतिपादन करके या ऐसा कार्य करने से जो कार्य वादी के अधिकारों के विरुद्ध है, शाश्वत रूप से वर्जित करता है। अस्थायी व्यादेश और शाश्वत व्यादेश में एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि अस्थायी व्यादेश किसी भी समय और वाद के किसी भी स्थिति में अनुदत्त किया जा सकता है जबकि शाश्वत व्यादेश वाद की सुनवाई के अन्त में ही अनुदत्त किया जा सकता है। अस्थायी व्यादेश वादी द्वारा प्रथम दृष्ट्या वाद स्थापित करने के उपरांत अनुदत्त किया जा सकता है परन्तु शाश्वत व्यादेश वाद के गुण और दोषों के आंकलन के पश्चात् अनुदत्त किया जाता है। अस्थायी व्यादेश सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों द्वारा विनियमित होता है जबकि शाश्वत व्यादेश विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के उपबन्धों द्वारा विनियमित होता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 (1) के अनुसार इस अध्याय (अर्थात् धारा 38-42) में अन्तर्विष्ट या निर्दिष्ट अन्य उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि शाश्वत व्यादेश वादी को उसके पक्षमें विद्‌यमान बाध्यता के, चाहे वह अभिव्यक्त हो या विवक्षित भंग का निवारण करने के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा। व धारा 38 (2) स्पष्ट कर देती है कि जब ऐसी कोई बाध्यता संविदा से उदभत होगी जो ऐसी दशा में न्यायालय अध्याय 2 (अर्थात् धारा 9-25) में अन्तर्विष्ट नियमों और उपबन्धों द्‌वारा मार्गदर्शित होगा।।

इस निमित्त बाध्यता अथवा आभार (obligation) से तात्पर्य विधिक बाध्यता से है। बाध्यता से तात्पर्य विधि द्‌वारा प्रवर्तनीय कर्त्तव्य से है और इस कारण यदि ऐसा कर्त्तव्य नहीं है तो शाश्वत व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा।2

धारा 38 (3) के अनुसार जब प्रतिवादी वादी के सम्पत्ति के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करता है या आक्रमण की धमकी देता है तब न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में शाश्वत् व्यादेश अनुदत्त कर सकता है

(क) जहाँ कि प्रतिवादी वादी के लिए उस सम्पत्ति का न्यासी हो;

(ख) जहाँ कि उस वास्तविक नुकसान का, जो उस आक्रमण द्‌वारा कारित है या जिसकाउस आक्रमण द्‌वारा कारित होना संभाव्य है, अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्‌यमान न हो।

(ग) जहाँ कि वह आक्रमण ऐसा हो कि धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष नदेगा;

(घ) जहाँ कि व्यादेश न्यायिक कार्यवाहियों में बाहल्य निवारित करने के लिए आवश्यक हो निरसित विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 में कई दृष्टान्त विधि की व्याख्या करने के लिए दिए गए थे निम्नलिखित उदाहरणों से विधि की स्थिति स्पष्ट की जासकती है। क. ख का चिकित्सीय परामर्शदाता है। क, ख से कुछ धन की मांग करता है। ख धन देने से इन्कार कर देता है। क, ख को धमकी देता है कि वह रोगी के रूपमें जो सूचनायें उसे दी हैं उसे प्रकट कर

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

देगा। ऐसा करना क के कर्त्तव्य के प्रतिकूल है। परिणामस्वरूप उसे ऐसा करने से रोकने के लिए व्यादेश जारी करने के निमित्त ख वाद ला सकता है।

कख और ग भागीदार हैं। भागीदारी इच्छा पर पर्यवसेय (determinable) है। क ऐसा कार्य करने की धमकी देता है जो कि फर्म की सम्पत्ति के लिए विनाशकारी है। ख और ग भागीदारी के विघटन की मांग किए बिना क को ऐसा करने से रोकने के लिए व्यादेश अनुदत्त करने के निमित वाद ला सकता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.